

Central Goods & Services Tax Rules, 2017

Rule 82 : Details of inward supplies of persons having Unique Identity Number

- (1) Every person who has been issued a Unique Identity Number and claims refund of the taxes paid on his inward supplies, shall furnish the details of such supplies of taxable goods or services or both electronically in **FORM GSTR-11**, along with application for such refund claim, through the common portal either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner.
 - (2) Every person who has been issued a Unique Identity Number for purposes other than refund of the taxes paid shall furnish the details of inward supplies of taxable goods or services or both as may be required by the proper officer in **FORM GSTR-11**.
-

नियम 82 : विशिष्ट पहचान संख्या रखने वाले व्यक्तियों के आवक प्रदायों के ब्यौरे

- (1) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसे विशिष्ट पहचान संख्या जारी की गई है और वह अपने आवक प्रदायों पर संदत्त करों के प्रतिदाय का दावा करता है, या तो प्रत्यक्षतः सामान्य पोर्टल के माध्यम से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से ऐसे प्रतिदाय दावे के लिए आवेदन के साथ **प्ररूप जीएसटीआर-11** में इलेक्ट्रानिक रूप से कराधेय माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे प्रदायों के ब्यौरे प्रस्तुत करेगा।
 - (2) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसे संदत्त करों के प्रतिदाय से भिन्न प्रयोजनों के लिए विशिष्ट पहचान संख्या जारी की गई है, कराधेय माल या सेवाओं या दोनों के आवक प्रदायों के ब्यौरे, जिनकी कोई **प्ररूप जीएसटीआर-11** में उचित अधिकारी द्वारा अपेक्षा की जाए, प्रस्तुत करेगा।
-